भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आजादी का अमृत महोत्सव

RBA No. 71/2021

No.2015/ACII/20/App.III

New Delhi, dated : 15.12.2021

PFAs

All Zonal Railways/ PUs.

Sub: Introduction of Objective Type Questions in Appendix III A IREM Examination for filling up of the posts of Sr.SO(A/cs), Sr.TIA & Sr.ISA and merger of these Supervisory Staff of Accounts Department.

The matter regarding introduction of objective type questions in Appendix III A IREM Examination for filling up of the posts of Sr.SO(A/cs), Sr.TIA & Sr.ISA and merger of supervisory staff of Accounts Department has been under consideration of Board for some time.

It has now been decided:-

I. To introduce objective type questions.

II. To merge the three streams of Sr.SO(A/cs), Sr.TIA & Sr.ISA with prospective effect and allowing supervisory staff to work in all the three streams to acquire knowledge and experience of Accounts Department as a whole.

2. The Examination Pattern of Appendix-III A IREM examination will broadly be as under:

a) Appendix-3 IREM examination will continue to be conducted by Railway Board. All the papers will be without books. The examinations will be Computer Based Tests (CBT).
b) Merged Appendix-3 IREM examination will have 3 objective question papers of 100 MCQs each (2 hours) and one subjective question paper with multiple sections (3 hours).
c) The combined marks of objective and subjective papers will determine the position of candidates in merit list.
d) Subjective paper will be conducted through online mode.
e) There will be no cap on the maximum number of attempts to appear in Appendix III examination.
f) Evaluation of the paper will be as follows:

To pass the exam, candidate will have to pass the objective and subjective papers individually and will have to secure minimum marks in aggregate (of objective papers) also to pass the exam.

(i) The pass marks for each of the objective question paper will be 40% with extant instructions of relaxation for reserved categories . However the aggregate marks for 3 Objective type of papers should be at 45% with extant instructions of relaxation for reserved categories.

(ii) The exemption for taking paper in the subsequent attempts will be 60%. The exemption will only stay for 5 years, beyond which the paper needs to be taken again.

(iii) Pass marks for subjective paper will be 40% with extant instructions of relaxation for reserved categories.

(iv) Negative Marking-There will be negative mark of 0.25 for each of the wrong answers in objective type question paper.

(v) Subjective paper will be corrected, only in the event of fulfilling both conditions (i) and (ii) as applicable.

(vi) The examination will be bilingual in Hindi/English as per the option of the candidates.

3.

A. Objective type question paper will cover broadly the following subjects :

a. General Rules & Procedures, Establishment, PF/NPS, Pension, Labour Laws and Associated Finance, Expenditure, Budget & Book Keeping.

b. Stores, Workshop, COS Procedures, Workshop Costing and Associated Finance, Expenditure, Budget & Book Keeping.

c. Traffic Accounts, Traffic Statistics/Costing, Station Accounts and Associated Finance, Accounting & Book Keeping.

B. Subjective paper will broadly cover the following:-

a. One section will be on General Essay, Letters & Precis.

b. There will be one compulsory question on Rajbhasha.

c. The remaining parts will test practical aspect of Finance and Accounts, approaching the finance case, comprehending the issue and conclusions arrived thereby.

d. Numerical questions related to Advanced Book Keeping will be incorporated to judge analytical ability of the candidate for which use of calculator will be allowed.

A and B above are indicative. Detailed syllabus will follow.

4. The detailed policy guidelines/ instructions on implementation of new pattern of Appendix IIIA IREM Examination and merger of supervisory cadre of Accounts Department will follow.

Roopa Srinivasan

(Roopa Srinivasan) 15/12/202

Pr.Executive Director/ Accounts

Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 71/2021

सं.2015/एसीII/20/एप.III

नई दिल्ली, दिनांक: 15.12.2021

प्रधान वित्त सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), वरिष्ठ टीआईए एवं वरिष्ठ आईएसए के पदों को भरने के लिए एपेंडिक्स IIIए आईआरईएम परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न शुरू करना और लेखा विभाग के इन पर्यवेक्षी कर्मचारियों का विलय करना।

बोर्ड में पिछले कुछ समय से वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), वरिष्ठ टीआईए और वरिष्ठ आईएसए के पदों को भरने के लिए एपेंडिक्स IIIए आईआरईएम परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न शुरू करने और लेखा विभाग के पर्यवेक्षी कर्मचारियों का विलय करने से संबंधित मामले पर विचार किया जा रहा है।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि:-

I. वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न शुरू किया जाए।

II. वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), वरिष्ठ टीआईए एवं वरिष्ठ आईएसए के तीन वर्गों का भावी प्रभाव से विलय किया जाए और लेखा विभाग का पूर्ण रूप से जानकारी और अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षी कर्मचारियों को इन तीनों वर्गों में कार्य करने की अनुमति दी जाए।

2. एपेंडिक्स IIIए आईआरईएम परीक्षा का परीक्षा स्वरूप मुख्य रूप से निम्नानुसार है:

क) एपेंडिक्स-3 आईआरईएम परीक्षा रेलवे बोर्ड द्वारा ही आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएँ पुस्तकों के बिना ही होंगी। ये परीक्षाएँ कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होंगी।

ख) इस विलय की गई एपेंडिक्स-3 आईआरईएम परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक पेपर में 100 बहुविकल्प प्रश्न होंगे (2 घंटे) तथा बहु खंड सहित एक विषयपरक प्रश्न-पत्र (3 घंटे) होगा।

ग) वस्तुनिष्ठ और विषयपरक प्रश्न-पत्रों में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

घ) विषयपरक प्रश्न-पत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

ङ) एपेंडिक्स III परीक्षा में भाग लेने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

च) पेपर का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा:

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उम्मीदवार को वस्तुनिष्ठ और विषयपरक दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा-पत्रों में न्यूनतम औसत अंक भी प्राप्त करने होंगे।

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे और इसमें आरक्षित कोटियों के लिए छूट मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी। बहरहाल, 3 वस्तुनिष्ठ किस्म के पेपर के लिए औसत अंक 45% होंगे और आरक्षित कोटियों के लिए छूट मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी।

(ii) बाद के प्रयासों में परीक्षा देने की छूट 60% होगी। छूट केवल 5 वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसके पश्चात पुनः परीक्षा देनी होगी।

(iii) विषयपरक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% होंगे और इसमें आरक्षित कोटियों के लिए छूट मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगी।

(iv) नकारात्मक अंकन - वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न-पत्र में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।

(v) यथा लागू (i) और (ii) शर्तों को पूरा करने पर ही वस्तुपरक प्रश्न-पत्र की जांच की जाएगी।

(vi) उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार परीक्षा हिंदी/अँग्रेजी द्विभाषिक रूप में होगी।

3.

क) वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न-पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय होंगे:

क. सामान्य नियम एवं प्रक्रियाएं, स्थापना, भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, पेंशन, श्रम कानून और सह वित्त, व्यय, बजट एवं बही लेखा।

ख. भंडार, कारखाना, सीओएस प्रक्रिया, कारखाना लागत निर्धारण और सह वित्त, व्यय, बजट एवं बही लेखा।

ग. यातायात लेखा, यातायात सांख्यिकी/लागत निर्धारण, स्टेशन लेखा और सह वित्त, लेखांकन एवं बही लेखा।

ख) विषयपरक प्रश्न-पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय होंगे:

क. एक खंड सामान्य निबंध, पत्र एवं सार लेखन पर होगा।

ख. राजभाषा पर एक प्रश्न अनिवार्य होगा।

ग. शेष भाग में वित्त और लेखांकन के व्यवहारिक पहलू, वित्त मामलों के प्रति दृष्टिकोण, मामले को समझना और उस पर निष्कर्ष निकालना।

घ. उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक क्षमता जाँचने के लिए उन्नत बहीखाते से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति होगी।

उक्त क) और ख) सांकेतिक हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम बाद में भेजा जाएगा।

4. एपेंडिक्स III-ए आईआरईएम परीक्षा के नए स्वरूप के कार्यान्वयन और लेखा विभाग के पर्यवेक्षी संवर्ग के विलय से संबंधित विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश/अनुदेश बाद में भेजे जाएंगे।

(रूपा श्रीनिवासन)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड